(नियम 13)

rieral Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़

रण पुत्र श्री छाजूराम जाति जोगी निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।	–बनाम–	छाजूराम पुत्र श्री गौरीशंकर जाति जोगी निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू वगैरह।
स्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. 06/2021 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
9.03.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री आनन्दीलाल सैनी** ने विरूद्ध अनावेदकगण बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदक नम्बर 01, 02, 6, 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम परसरामुपरास की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर व दुसरी भूमि खसरा नम्बर 1808 रकबा 1.3100 हैक्टर उपरोक्त विवादित जमीन किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र नही करने साथ ही अनावेदक नम्बर 20 व 21 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित जमीन क संबंध में अनावेदक नम्बर 01 व 2 तथा 6 व 7 के द्वारा पेश कोई भी विक्रय पत्र न तो स्वयं तस्दीक करे ओर न ही अपने किसी अधीनस्थ आदि से करावे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम परसरामुपरास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर व दुसरी भूमि खसरा नम्बर 1808 रकबा 1.3100 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदक की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा। तहसीलदा नवलगढ से विवादग्रसत भूमि के मौके की रिपोर्ट लिया जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 15.04.2021 को पेश हो। दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ	
9/4/21	आवेदक द्वारा प्रार्थ पत्र मिसल तलबी का पेश होने पत्रावली आज पेश हुई। नकिल आवेदक एवं आवेदक ने प्रार्थ पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तो प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रकरण को खारिज फरमान। प्रार्थ पत्र का अवलोकन किया [illegible] निष्पादन आज दोनो स्तर पर खारिज की जाती है तथा पूर्व आदेश [illegible] को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दुमाई हो तथा बाद तकमील अस्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)